न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-9 RAAJodhpur2023-03RTA223 Nathusingh ors Vs Radhakanwar etc

1. नाथूसिंह पुत्र श्री कालूसिंह
2. मदन लाल उर्फ मदनसिंह पुत्र श्री मंगलचन्द उर्फ मंगलसिंह

दोनो जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण- गारासनी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. राधाकंवर बेवा सज्जनसिंह
2. इन्द्रसिंह पुत्र मांगीलाल
3. शंकरसिंह पुत्र मांगीलाल के कायम मुकामः -
   - 3.1. केसर कंवर पत्नी शंकर सिंह
   - 3.2. धर्मेन्द्र पुत्र शंकर सिंह
   - 3.3. विरेन्द्र पुत्र शंकर सिंह
   - 3.4. किरण कंवर पुत्री शंकर सिंह
   - 3.5. सुमन कंवर पुत्री शंकर सिंह

   जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण- गारासनी, हाल निवासी- रजलानी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर भोपालगढ द्वारा दिनांक 29 जून 2022 राजस्व मूल वाद संख्या 09/2022 नाथूसिंह व अन्य बनाम राधाकंवर इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री प्रहलादसिंह, श्री करणसिंह अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4

नि र्ण य

दिनांक : 23 नवंबर 2023

23-11-23

राजस्व अपील प्राधिकारी

जोधपुर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 09/2022 अनवान नाथूसिंह व अन्य बनाम राधाकंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 02 जनवरी 2023 को पेश की गयी है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने एक वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 508 रकबा 0.5261 हैक्टेयर, खसरा नं. 509 रकबा 1.9506 हैक्टेयर, खसरा नं. 659/430 रकबा 1.4164 हैक्टेयर ग्राम गारासनी तहसील भोपालगढ के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29 जून 2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय वाद के तथ्यों का न तो अवलोकन किया एवं न ही साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया, जबकि स्पष्ट रूप से वाद पत्र पर दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है जो यह प्रकट करते है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है जो वादीगण के दादा स्व. माणकलाल के नाम खातेदारी रही है। स्व. माणकलाल का स्वर्गवास होने के बाद उक्त भूमि माणकलाल के बड़े पुत्र मांगीलाल

23.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई तथा मांगीलाल के फौत होने पर रेस्पोडेंट्स के नाम दर्ज हो गई, जबकि स्व. माणकलाल के कुल तीन पुत्र मांगीलाल, कालूसिंह व मंगलसिंह थे। स्व. माणकलाल के जीतेजी ही मांगीलाल सुगनी बेवा धीरा जाति पुरोहित निवासी रजलानी, तहसील भोपालगढ के यहां गोद चले गये जो कि आज दिनांक भी मांगीलाल के वारिसान् धीरा के पुश्तैनी जमीन के खातेदार है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स का संयुक्त कब्जा काश्त है। वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो अभिवचन, दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये वे पूर्णतः अखण्डित है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई कारण प्रकट नहीं किया है कि अखण्डित साक्ष्य को उपेक्षित करने का क्या आधार है। प्रतिवादीगण न तो विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए एवं न ही उनके द्वारा वादपत्र के तथ्यों का न तो कोई जवाब दिया एवं न ही साक्ष्य का खण्डन किया। ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से खारिज किया जाना कतई न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। वादीगण वादग्रस्त आराजी में निरंतर काबिज काश्त है, इसलिए वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार होने की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है, जिनको विधि एवं कानून की भली-भांति जानकारी नहीं होने के चलते समय पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके। हाल ही में जानकारी होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की गई है।

23.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29 जून 2022 को निरस्त किये जावे एवं वादीगण का वाद माफिक अनुतोष डिक्री किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास करते हुए मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अपीलांट्स के कथन है कि रेस्पोडेंट्स के मांगीलाल वल्द माणकलाल स्व. माणकलाल के जीतेजी धीरा पुरोहित निवासी रजलानी के गोद चले गये तथा धीरा की पुश्तैनी भूमि के खातेदार है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गारासनी एवं ग्राम रजलानी के जमाबंदी के अवलोकन मुताबिक दोनो ग्रामों में मांगीलाल वल्द माणकलाल एवं मांगीलाल पुत्र धीराराम के नाम से खातेदारी भूमियॉ दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्र के मुख्य परिक्षण में वादग्रस्त आराजी पर भोपालसिंह के दोनो पुत्रों

23.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रावतसिंह एवं प्रतापसिंह का बराबर-बराबर हक माना है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर गौर किये बिना तथा उन पर विवेचन किये बिना केवल वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 09/2022 अनवान नाथूसिंह व अन्य बनाम राधाकंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 जून 2022 खारिज किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में प्रतिवादीगण से जवाब लेकर दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.11.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर